बिहार मानवाधिकार आयोग 09 बेली रोड, पटना 800015

निविदा की शर्ते

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में सुरक्षा एवं सफाई कार्य (House Keeping) हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों / संस्थाओं से निम्नांकित शर्तों के तहत निविदा अगले एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है :-

- 01. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा विहित प्रपत्र में अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिया जाना होगा एवं उस पर अलग-अलग वित्तीय निविदा व तकनीकी निविदा लिखा रहना चाहिए (विहित प्रपत्र संलग्न है)।
- 02. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ तकनीकी निविदा में अंकित कांडिका (1) से (10) में वांछित कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। संलग्न नहीं पाए जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- 03. सुरक्षा व सफाई की शर्ते :-
- (i) निविदादाता को पाँच सुरक्षा कर्मी एवं तीन सफाई कर्मी आयोग को उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा किर्मियों की प्रतिनियुक्ति 24 घंटों के लिए की जानी होगी। प्रत्येक सुरक्षा कर्मी की सेवा Shift wise निम्नवत् होगी:-
 - (a) सुबह 6 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
 - (b) अपराह्न 2 बजे से 10 बजे रात्रि तक एवं
 - (c) रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे पूर्वाह्न तक
- (ii) सुरक्षाकर्मी सेवानिवृत सैनिककर्मी या किसी सुरक्षा एजेन्सी में पूर्व का सुरक्षा संबंधी पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त सुरक्षाकर्मी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- (iii) सुरक्षाकर्मी को तीन शिफ्ट में सभी सातों दिन कार्य करना होगा। सफाई कार्य का शिफ्ट आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाएगा।
- (iv) सुरक्षाकर्मी / सफाईकर्मी को नियमित हाजिरी प्रत्येक शिफ्ट में आयोग द्वारा संधारित पंजी में किया जाना अनिवार्य होगा। उपस्थिति में आगमन एवं प्रस्थान (समय सहित) अंकित करना होगा।
- (v) उपस्थिति विवरणी के आलोक में प्रतिष्ठान∕ संस्थान द्वारा प्रत्येक माह के 5वीं तारीख के पूर्व विपत्र समर्पित करना होगा।
- (vi) सुरक्षा कर्मियों / सफाई कर्मियों को वांछित वर्दी में रहना अनिवार्य होगा तथा कर्मियों को नाम पट्टिका भी लगानी होगी जिसकी आपूर्ति चयनित एजेन्सी को करनी होगी।

- 04. अन्य सामान्य शर्ते :-
- (i) सुरक्षाकर्मी / सफाईकर्मी अनुभवी एवं अनुशासित होने चाहिए। उपलब्ध सुरक्षाकर्मियों को 24 घंटे (रात एवं दिन) परिसर में अवस्थित आयोग की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करनी होगी। यह व्यवस्था अवकाश के दिन भी लागू होगा।
- (ii) एजेर्न्सी का प्रतिनिधि प्रत्येक सप्ताह सुरक्षा / सफाई कार्यों के सुचारु संचालन हेतु आयोग के सचिव / उप सचिव से आवश्यक समन्वय / मार्गदर्शन प्राप्त करेगें।
- (iii) अयोग्य सुरक्षाकर्मी / सफाईकर्मी को किसी भी समय वापस करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iv) चोरी अथवा अनिधकृत प्रवेश की सूचना एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन आयोग को देना अनिवार्य होगा।
- (v) कर्मियों के छुट्टी / अनुपस्थिति की स्थिति मे वैकल्पिक व्यवस्था एजेन्सी को करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भूगतान देय नहीं होगा।
- (vi) कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिया जाना अनिवार्य होगा।
- (vii) आगन्तुक व्यक्तियों एवं वस्तुओं के आने-जाने की जांच सुरक्षाकर्मियों द्वारा की जाएगी, जिसके लिए उनके द्वारा अभिलेख संधारित करना होगा।
- (viii) सफाई हेतु सभी आवश्यक निम्नलिखित सामग्रियाँ एजेन्सी को उपलब्ध करानी होगी:(झाडू (नारियल और फूल), एसीड, नेफथलीन बॉल, पोछा; कोलीन, ब्लीचींग पाउडर, विंम पाउडर, सर्फ, फेनाईल, सीटा, दो सुती कपड़ा, प्लास्टिक बाल्टी (बड़ा), नाली काछने वाली कुदाली)
- (ix) सफाई कर्मियों द्वारा फ्लोर, बाथरुम, दरबाजा, खिड़की, टेबुल, कुर्सी परिसर के आगे-पीछे, (लॉबी, कोरिडोर एवं हॉल सहित) की सफाई, शर्त्तों के अनुरुप करनी होगी।
- (x) कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर विपत्र से समानुपातिक राशि की कटौती व एकरारनामा रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) इस कार्य के लिए एक वर्ष का एकरारनामा आयोग एवं चयनित प्रतिष्ठान / एजेन्सी के बीच में सम्पादित किया जाएगा। इस क्रम में भाग लेने वाले प्रतिष्ठान / एजेन्सी का एक पैनल तैयार किया जाएगा। यदि चयनित संस्था द्वारा बीच में ही कार्य छोड़ दिया जाता है तो उस पैनल में शामिल नीचे के प्रतिष्ठान / एजेन्सी से कार्य उसी प्रकृति एवं दर पर सम्पादित कराया जायेगा। कार्य संतोषप्रद रहने पर आगे के लिए एकरारनामा विस्तारित करने पर विचार किया जा सकता है।
- 05. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुरुप इच्छुक प्रतिष्ठान/ संस्थान/ एजेन्सी समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर 30,000/- (तीस हजार) रुपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रुप में संलग्न कर निविदा उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पदनाम से कार्यालय अविध में दे सकते हैं। निविदा खोलने की तिथि की सूचना निविदाकारों को निविदा प्राप्ति के पश्चात् अलग से दी जायेगी।

तकनीकि निविदा

- 01. फर्म का नाम :
- 02. बिहार सरकार का निबंधन प्रमाण-पत्र :

(संख्या एवं दिनांक व वैधता की अवधि यदि कोई हो तो, दें)।

- (i) वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण-पत्र / सेवा कर निबंधन प्रमाण-पत्र :
- (ii) पैन कार्ड नम्बर :
- (iii) ई०पी०एफ० निबंधन प्रमाण-पत्र :
- (iv) लेबर लाईसेन्सः
- (v) ई०एस०आई निबंधन प्रमाण-पत्रः
- 03. संस्थान के लेखा का वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 का चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट ।
- 04. बिहार/ भारत सरकार एवं अन्य सरकारी संस्थान में काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।
- 05. आयोग द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तों की सभी कंडिकाएँ मान्य है एवं तत्संबंधी निविदा के प्रति पर मेरे हस्ताक्षर व मुहर अंकित है तथा संलग्न है।
- 06. (i) संस्थान में सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्याँ :
 - (a) कुल सुरक्षा कर्मियों में से सेवानिवृत सैनिक कर्मियों की संख्या :
 - (b) 18-60 वर्ष के उम्र के बीच के सेवानिवृत सैनिक कर्मियों की संख्या :
 - (ii) (a) संस्थान में सफाई कर्मियों की कुल संख्या :
 - (b) 60 वर्ष के उम्र के बीच के सफाई कर्मियों की संख्या :
- 07. सफाई कार्यों में उपयोग होने वाले सफाई सामग्रियों की विदरणी :
- 08. विभिन्न संस्थाओं के किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न करें)।
- 09. संस्थान का सुरक्षा / सफाई के क्षेत्र में प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का Work Plan

दिनांक

निविदादाता का हस्ताक्षर

नोटः उपरोक्त तकनीकी निविदा में मांगे जा रहे कागजातों के लिए तत्संबंधी स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र की छाया प्रति एवं निविदा की हस्ताक्षरित प्रति अनुलग्नक के रुप में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

01.

02.

03.

04.

वित्तीय निविदा

- 01. फर्म का नाम :-
- 02. कुल मासिक दर :-
- 03. प्रति सुरक्षा कर्मी / सफाई कर्मी का मासिक दर :-

दिनांक	 निविदादाता का हस्त	गक्षर

नोटः प्रति सुरक्षा कर्मी / सफाई कर्मी के देय राशि के अतिरिक्त देयता यथा सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स, यूनिफार्म चार्ज, बीमा राशि, ई०पी०एफ० राशि आदि देय राशि अलग-अलग अंकित करेगें।

शपथ-पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि भारत सरकार बिहार सरकार तथा अन्य किसी सरकारी संस्थानों / विभागों द्वारा मेरे संस्थान को कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर